

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

पीठासीन अधिकारी : श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 54 / 2023

प्रार्थीगण

बनाम

विप्रार्थी

1. अशोकसिंह पुत्र भैरसिंह तहसीलदार सिणधरी
2. भंवरीदेवी पत्नी भैरसिंह
3. रामसिंह पुत्र भैरसिंह
4. लूणसिंह पुत्र भैरसिंह  
जातियान राजपूत निवासी  
नाकोड़ा तहसील सिणधरी
5. चम्पादेवी पत्नी मेहराराम जाति  
कुम्हार निवासी नाकोड़ा  
तहसील सिणधरी
6. केसरसिंह पुत्र भीखसिंह
7. खेतसिंह पुत्र भीखसिंह  
जाति राजपूत निवासी नाकोड़ा  
तहसील सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :-

1. श्री पावुराम बेनीवाल प्रार्थीगण उपस्थित।
2. नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय)राज.पैरोकार विप्रार्थी सं. 1 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक- 21.05.2024

1. संक्षेप में आवेदन पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीगण सं. 01 से 04 की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 43/1 रकबा 2.5888 हैक्टेयर, प्रार्थी संख्या 5 के खसरा संख्या 43/15 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, प्रार्थी 6 के खसरा संख्या क्रमशः 312/4, 314/43 रकबा क्रमशः 1.4400, 1.1083 हैक्टेयर कुल रकबा 2.5483 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 7 खसरा संख्या 329/43, 331/43 रकबा क्रमशः 1.0113, 0.8737 हैक्टेयर कुल रकबा 1.8850 हैक्टेयर ग्राम नाकोड़ा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील

3  
उपखण्ड अधिकारी  
सिणधरी

सिणधरी में अवस्थित है, कि उक्त खसरान के मूल खसरा 43 से विभाजन से नवसृजित उपरोक्त खसराने की तरमीम मौके पर विद्यमान प्रार्थीगण के कब्जे काशत के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काशत के विपरित लट्टा ट्रेस में कर दी गई जबकि मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काशत जिसमें प्रार्थीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाड़े आदि बने हुए है जो राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज तरमीम से बिलकूल विपरित स्थान पर है। अतः विवादित भूमि की मौका कब्जा स्थिति के अनुसार तरमीम दुरुस्ती करवाने हेतु यह आवेदन पेश किया गया है।

2 प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थी की ओर से नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय) राज.पैरोकार उपस्थित हुए। विवादित भूमि की मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3. उभयपक्ष की बहस सुनी कि प्रार्थीगण सं. 01 से 04 की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 43/1 रकबा 2.5888 हैक्टेयर, प्रार्थीगण संख्या 5 के खसरा संख्या 43/15 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, प्रार्थी 6 के खसरा संख्या क्रमशः 312/4, 314/43 रकबा क्रमशः 1.4400, 1.1083 हैक्टेयर कुल रकबा 2.5483 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 7 खसरा संख्या 329/43, 331/43 रकबा क्रमशः 1.0113, 0.8737 हैक्टेयर कुल रकबा 1.8850 हैक्टेयर ग्राम नाकोड़ा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी में अवस्थित है, कि मूल खसरा 43 के विभाजन से नवसृजित उपरोक्त खसराने की तरमीम मौके पर विद्यमान प्रार्थीगण के कब्जे काशत के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काशत के विपरित लट्टा ट्रेस में कर दी गई जबकि मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काशत जिसमें प्रार्थीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाड़े आदि बने हुए है जो राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज तरमीम से बिलकूल विपरित स्थान पर है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर कथन किया कि तहसीलदार सिणधरी ने अपनी मौका जांच रिपोर्ट क्रमांक 256 दिनांक 24.01.2024 में तरमीम दुरुस्ती करने की सिफारिश की गई है। जो तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि की लट्टा नक्शा में तरमीम दुरुस्ती करवाने का आदेश फरमावे।

4. विप्रार्थी की ओर से राज.पैरोकार नायब तहसीलदार ने अपनी बहस में जाहिर किया, कि तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जावे।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात एवं मौका जांच रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया। जिसमें पाया प्रार्थीगण सं. 01 से 04 की खातेदारी का खसरा संख्या 43/1 रकबा 2.5888 हैक्टेयर, प्रार्थीगण संख्या 5 के खसरा संख्या 43/15 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, प्रार्थी 6 के खसरा संख्या क्रमशः 312/4, 314/43 रकबा क्रमशः 1.4400, 1.1083 हैक्टेयर कुल रकबा 2.5483 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 7 खसरा संख्या 329/43, 331/43 रकबा क्रमशः 1.0113, 0.8737 हैक्टेयर कुल रकबा 1.8850 हैक्टेयर ग्राम नाकोड़ा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी में अवस्थित है, कि मूल खसरा 43 के विभाजन से नवसृजित उपरोक्त खसराने की तरमीम मौके पर विद्यमान प्रार्थीगण के कब्जे काशत के अनुसार न होकर राजस्व कार्मिकों की भूल से कब्जा काशत के विपरित लट्टा ट्रेस में

3  
उपखण्ड अधिकारी

सिणधरी

कर दी गई जबकि मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा काशत जिसमें प्रार्थीगण की रहवासी ढाणीयां, टांके, चारबाड़े आदि बने हुए है जो राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज तरमीम से बिलकूल विपरित स्थान पर है एवं तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काशत के विपरीत लटढा नक्शा में तरमीम हो रखी है, जो कि गलत तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 24.01.2024 से होता है, इस प्रकार प्रार्थी के मौके पर कब्जा काशत से विपरीत तरमीम होने के कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति भी हो रही है, जबकि प्रार्थी का मौके पर कब्जा काशत के अनुसार ही राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम होनी चाहिए। ताकि राजस्व रिकॉर्ड की एकरूपता बनी रहें और तहसीलदार सिणधरी ने भी अपनी मौका जांच रिपोर्ट में मौका स्थिति के अनुसार तरमीम दुरुस्त करने की अनुशंघा की गई है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है, कि विवादित भूमि के खातेदारान का मौके पर कब्जा काशत के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड नक्शा लटढा में तरमीम नहीं हो रखी है। जो प्रार्थी मौके पर कब्जा काशत के अनुसार रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्त करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मूल खसरा नम्बर 43 से विभक्त होकर कायम हुए प्रार्थीगण सं. 01 से 04 की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 43/1 रकबा 2.5888 हैक्टेयर, प्रार्थीगण संख्या 5 के खसरा संख्या 43/15 रकबा 0.6472 हैक्टेयर, प्रार्थी 6 के खसरा संख्या क्रमशः 312/4, 314/43 रकबा क्रमशः 1.4400, 1.1083 हैक्टेयर कुल रकबा 2.5483 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 7 खसरा संख्या 329/43, 331/43 रकबा क्रमशः 1.0113, 0.8737 हैक्टेयर कुल रकबा 1.8850 हैक्टेयर ग्राम नाकोड़ा पटवार मण्डल सिणधरी तहसील सिणधरी की विदयमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार सिणधरी की मौका जांच रिपोर्ट क्रमांक 256 दिनांक 24.01.2024 के संलग्न प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाते हैं, उक्त नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सिणधरी को तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम दुरुस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 21.05.2024 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी